

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 327 / 2026
अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कन्धवाला अमरकोट अबोहर पंजाब।
2. कुलदीप कुमार पुत्र बलवीरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोविन्द नगरी गली सं. 1 अबोहर पंजाब।

– वादी

बनाम्

1. माया देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कन्धवाला अमरकोट अबोहर पंजाब
2. रेशनी देवी पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कन्धवाला अमरकोट अबोहर पंजाब
3. किरण पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कन्धवाला अमरकोट अबोहर पंजाब
4. पूजा पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कन्धवाला अमरकोट अबोहर पंजाब
5. गोदावरी देवी पत्नि बलवीरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोविन्द नगरी गली सं. 1 अबोहर
6. राजरानी पुत्री बलवीरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोविन्द नगरी गली सं. 1 अबोहर पंजाब
7. रजनी बाला पुत्री बलवीरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोविन्द नगरी गली सं. 1 अबोहर पंजाब
8. रेखा राणी पुत्री बलवीरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोविन्द नगरी गली सं. 1 अबोहर पंजाब
9. राजेन्द्र कुमार पुत्र बलवीरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोविन्द नगरी गली सं. 1 अबोहर पंजाब
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपरिस्थिति :- श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 25/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता सं. 87 / 87 के खा.न. 167 की 7.9040 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादीगण के पिता ओमप्रकाश पुत्र रणजीतराम 12647 / 79040 हिस्सा, एवं बलवीरराम का 12647 / 79040 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Rahul

Page 1 of 5

उपखण्ड अधिकारी

नोहर

उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व में वादीगण के दादा रणजीतराम के नाम दर्ज थी तथा उनकी फौतदगी के बाद ओमप्रकाश व बलवीरराम पि. रणजीतराम के नाम दर्ज हुई तथा वादीगण के पिता की फौतदगी के बाद वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 पिता व पति फौत हो चुके हैं जिसके प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 9 है। इसलिए मृतक ओमप्रकाश व बलवीरराम के नाम दर्ज कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता सं. 87 /87 के ख.न. 167 की 7.9040 हैक्टर भूमि में ओमप्रकाश पुत्र रणजीतराम 12647/79040 हिस्सा, एवं बलवीरराम का 12647/79040 हिस्सा भूमि के वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 9 ब.हि.ब दर्ज करवा पाने के अधिकारी है प्रतिवादी सं. 1 ता 4 जो कि वादी सं. 1 की बहिन एवं माता है तथा प्रतिवादी सं. 5 ता 8 जो कि वादी सं. 2 व प्रतिवादी संरू 9 की माता एवं बहिन है। तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 व व प्रतिवादीगण सं. 6 ता 8 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में काफी धन सम्पदा है अपना हक व हिस्सा अपने भाई वादीगण व प्रतिवादी सं. 9 के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व जो कि वादीगण की माता है ने अपना हक व हिस्सा वादीगण की सेवा चाकरी से खुश होकर अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए तथा अपना जितना भी हक व हिस्सा था वह मौखिक रूप परित्याग कर दिया है। इसलिए रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता सं. 87/87 के ख.न. 167 की 7.9040 हैक्टर भूमि में मृतक ओमप्रकाश पुत्र रणजीतराम के नाम दर्ज 12647/79040 हिस्सा का वादी सं. 1 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा एवं मृतक बलवीरराम के नाम दर्ज 12647/79040 हिस्सा भूमि का वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 9 ब.हि.ब. के खातेदार कातश्कार रहेगे एवं मृतकगण ओमप्रकाश व बलवीरराम का नाम कलमजन करवाकर इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवापाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 10 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण ओमप्रकाश व बलवीरराम दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व में वादीगण के दादा रणजीतराम के नाम दर्ज थी तथा उनकी फौतदगी के बाद ओमप्रकाश व बलवीरराम पि. रणजीतराम के नाम दर्ज हुई तथा वादीगण के पिता की फौतदगी के बाद वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 पिता व पति फौत हो चुके है जिसके प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 9 है। इसलिए मृतक ओमप्रकाश व बलवीरराम के नाम दर्ज कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता सं. 87 /87 के ख.न. 167 की 7.9040 हैक्टर भूमि में ओमप्रकाश पुत्र रणजीतराम 12647 /79040 हिस्सा, एवं बलवीरराम का 12647 /79040 हिस्सा भूमि के वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 9 ब.हि.ब दर्ज करवा पाने के अधिकारी है प्रतिवादी सं. 1 ता 4 जो कि वादी सं. 1 की बहिन एवं माता है तथा प्रतिवादी सं. 5 ता 8 जो कि वादी सं. 2 व प्रतिवादी संरू 9 की माता एवं बहिन है। तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 व व प्रतिवादीगण सं. 6 ता 8 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में काफी धन सम्पदा है अपना हक व हिस्सा अपने भाई वादीगण व प्रतिवादी सं. 9 के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व जो कि वादीगण की माता है ने अपना हक व हिस्सा वादीगण की सेवा चाकरी से खुश होकर अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए तथा अपना जितना भी हक व हिस्सा था वह मौखिक रूप परित्याग कर दिया है। इसलिए रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता सं. 87 /87 के ख.न. 167 की 7.9040 हैक्टर भूमि में मृतक ओमप्रकाश पुत्र रणजीतराम के नाम दर्ज 12647 /79040 हिस्सा का वादी सं. 1 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा एवं मृतक बलवीरराम के नाम दर्ज 12647 /79040 हिस्सा भूमि का वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 9 ब.हि.ब. के खातेदार कातश्कार रहेगे एवं मृतकगण ओमप्रकाश व बलवीरराम का नाम कलमजन करवाकर इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवापाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता सं. 87 /87 के ख.न. 167 की 7.9040 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादीगण के पिता ओमप्रकाश पुत्र रणजीतराम 12647 /79040 हिस्सा, एवं बलवीरराम का

Lalul
उपसद अधिकारी
नोहर



12647/79040 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी का कथन है कि उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व में वादीगण के दादा रणजीतराम के नाम दर्ज थी तथा उनकी फौतदगी के बाद ओमप्रकाश व बलवीरराम पि. रणजीतराम के नाम दर्ज हुई तथा वादीगण के पिता की फौतदगी के बाद वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 पिता व पति फौत हो चुके है जिसके प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 9 है। इसलिए मृतक ओमप्रकाश व बलवीरराम के नाम दर्ज कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता सं. 87 /87 के ख.न. 167 की 7.9040 हैक्टर भूमि में ओमप्रकाश पुत्र रणजीतराम 12647/79040 हिस्सा, एवं बलवीरराम का 12647/79040 हिस्सा भूमि के वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 9 ब.हि.ब दर्ज करवा पाने के अधिकारी है प्रतिवादी सं. 1 ता 4 जो कि वादी सं. 1 की बहिन एवं माता है तथा प्रतिवादी सं. 5 ता 8 जो कि वादी सं. 2 व प्रतिवादी संरू 9 की माता एवं बहिन है। तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 व व प्रतिवादीगण सं. 6 ता 8 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में काफी धन सम्पदा है अपना हक व हिस्सा अपने भाई वादीगण व प्रतिवादी सं. 9 के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व जो कि वादीगण की माता है ने अपना हक व हिस्सा वादीगण की सेवा चाकरी से खुश होकर अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए तथा अपना जितना भी हक व हिस्सा था वह मौखिक रूप परित्याग कर दिया है। इसलिए रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता सं. 87/87 के ख.न. 167 की 7.9040 हैक्टर भूमि में मृतक ओमप्रकाश पुत्र रणजीतराम के नाम दर्ज 12647/79040 हिस्सा का वादी सं. 1 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा एवं मृतक बलवीरराम के नाम दर्ज 12647/79040 हिस्सा भूमि का वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 9 ब.हि.ब. के खातेदार कातशकार रहेगे एवं मृतकगण ओमप्रकाश व बलवीरराम का नाम कलमजन करवाकर इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवापाने के अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान एवं सदस्य प्रमाण पत्र के के अलावा लाधुराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता सं. 87/87 के ख.न. 167 की 7.9040 हैक्टर भूमि में मृतक ओमप्रकाश पुत्र रणजीतराम के नाम दर्ज 12647/79040 हिस्सा का वादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक बलवीरराम के नाम दर्ज 12647/79040 हिस्सा भूमि में वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 9 को ब.हि.ब. के खातेदार कातशकार घोषित किया जाता है एवं मृतकगण ओमप्रकाश व बलवीरराम का नाम कलमजन किया जाता है


Sahni

Page 4 of 5

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा जमाबन्दी मे वादीगण के पिता का पता वजीरपुरा के स्थान पर कन्धवाला अमरकोट अबोहर के अंकन का घोषणा की जाती है। इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवापाने के अधिकारी है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 327/2026

अनवान : -

1. पवन कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कन्धवाला अमरकोट अबोहर पंजाब।
2. कुलदीप कुमार पुत्र बलवीरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोविन्द नगरी गली सं. 1 अबोहर पंजाब।

- वादी

बनाम्

1. माया देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कन्धवाला अमरकोट अबोहर पंजाब
2. रोशनी देवी पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कन्धवाला अमरकोट अबोहर पंजाब
3. किरण पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कन्धवाला अमरकोट अबोहर पंजाब
4. पूजा पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कन्धवाला अमरकोट अबोहर पंजाब
5. गोदावरी देवी पत्नि बलवीरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोविन्द नगरी गली सं. 1 अबोहर
6. राजरानी पुत्री बलवीरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोविन्द नगरी गली सं. 1 अबोहर पंजाब
7. रजनी बाला पुत्री बलवीरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोविन्द नगरी गली सं. 1 अबोहर पंजाब
8. रेखा राणी पुत्री बलवीरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोविन्द नगरी गली सं. 1 अबोहर पंजाब
9. राजेन्द्र कुमार पुत्र बलवीरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोविन्द नगरी गली सं. 1 अबोहर पंजाब
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 327 सन 2026 निर्णय दिनांक 25/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता सं. 87/87 के ख.न. 167 की 7.9040 हैक्टर भूमि में मृतक ओमप्रकाश पुत्र रणजीतराम के नाम दर्ज 12647/79040 हिस्सा का वादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक बलवीरराम के नाम दर्ज 12647/79040 हिस्सा भूमि में वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 9 को ब.हि.ब. के खातेदार कातश्कार घोषित किया जाता है एवं मृतकगण ओमप्रकाश व बलवीरराम का नाम कलमजन किया जाता है तथा जमाबन्दी में वादीगण के पिता का पता वजीरपुरा के स्थान पर कन्धवाला अमरकोट अबोहर के अंकन का घोषणा की जाती है। इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवापाने के अधिकारी है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर